

क्रमांक: प्रशिक्षण/जीएनएम/09/330

दिनांक:-30.07.09

निदेशक,
जन सम्पर्क विभाग,
राजस्थान-जयपुर।

विषय:- जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति के प्रसारण बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस निदेशालय की विज्ञप्ति क्रमांक: प्रशिक्षण/जन./09/329 दिनांक:30.07.09 की छः प्रतियां संलग्न कर लेख है कि इनका राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, राष्ट्रदूत, दैनिक नवज्योति की राज्य के सभी संस्करणों में प्रकाशित कराने का श्रम करें।




अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0-जयपुर।

क्रमांक: प्रशिक्षण/जीएनएम/09/330

दिनांक:-30.07.09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान-जयपुर।
3. उप शासन सचिव, (ग्रुप-3), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान-जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर।
5. प्रभारी सर्वरक्षक, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस विज्ञप्ति क्रमांक: प्रशि/जीएनएम/09/329 दिनांक:30.07.09को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय (आई.ई.सी.) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त काँउसलिंग कार्यक्रम का समाचार समय-समय पर समाचार पत्रों/विभागीय प्रसारणों में प्रकाशित/प्रसारित कराने का श्रम करें।
7. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0-जयपुर।

:: विज्ञापित ::

इस निदेशालय की प्रवेश विज्ञापित क्रमांक:प्रशिक्षण/जीएनएम/09/346 दिनांक: 11.5.09 के सन्दर्भ में निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी/जॉच के पश्चात आरक्षण की श्रेणीवार राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स जिनकी सूची विभागीय बैवसाईट पर उपलब्ध है, में प्रवेश हेतु कम्प्यूटराईज्ड कॉउसलिंग के लिये निम्न श्रेणी/वर्ग के सम्मुख अंकित प्राप्तांक प्रतिशत तक के अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों तथा रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कॉंसिल, जयपुर को देय 180/- रूपये तथा 10,000/- रूपये के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन हेतु चयन समिति के सम्मुख राजस्थान नर्सिंग कॉंसिल, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर के यहां निम्नानुसार उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है:-


श्रेणी/वर्ग	प्राप्तांक प्रतिशत	दि० प्रातः 9.00 बजे
राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र पर चयन हेतु		
विकलांग	अनुसूचित जाति/जन जाति 35.00% तथा सामान्य/ओबीसी श्रेणी के 40.00% तक के बायोलोजी ग्रुप एवं अन्य विषय ग्रुप के समस्त महिला/पुरुष अभ्यर्थी।	24.08.09
सेवारत	अनुसूचित जाति/जन जाति 35.00% तथा सामान्य/ओबीसी श्रेणी के 40.00% तक के बायोलोजी ग्रुप एवं अन्य विषय ग्रुप के समस्त महिला/पुरुष अभ्यर्थी।	24.08.09
सामान्य महिला (अ.जा.,अ.ज.जा.,अ.पि.व.,सामान्य)	बायोलोजी ग्रुप 67.687 % तक अ.जा.,अ.ज.जा., अ.पि.व. तथा सामान्य संवर्ग के समस्त महिला अभ्यर्थी।	24.08.09
सामान्य महिला (अ.जा.,अ.ज.जा.,अ.पि.व.,सामान्य)	बायोलोजी ग्रुप 64.00 % तक अ.जा.,अ.ज.जा., अ.पि.व. तथा सामान्य संवर्ग के समस्त महिला अभ्यर्थी।	25.08.09
ओबीसी महिला	बायोलोजी ग्रुप 60.00 % तक के समस्त ओ.बी.सी. महिला अभ्यर्थी।	25.08.09
अनु.जाति महिला	बायोलोजी ग्रुप 55.00 % तक के समस्त अ.जा. महिला अभ्यर्थी।	26.08.09
अनु.जन जाति महिला (जन जातिय उपयोगना क्षेत्र सहित)	बायोलोजी ग्रुप 35.00 % तक के समस्त अ.ज.जा. महिला अभ्यर्थी। अन्य विषय ग्रुप 62.00 % तक के समस्त अ.ज.जा. महिला अभ्यर्थी।	26.08.09
सामान्य पुरुष (अ.जा.,अ.ज.जा.,अ.पि.व.,सामान्य)	बायोलोजी ग्रुप 72.00 % तक अ.जा.,अ.ज.जा., अ.पि.व. तथा सामान्य संवर्ग के समस्त पुरुष अभ्यर्थी।	27.08.09
ओबीसी पुरुष	बायोलोजी ग्रुप 70.00 % तक के समस्त ओ.बी.सी. पुरुष अभ्यर्थी।	27.08.09
अनु.जाति पुरुष	बायोलोजी ग्रुप 68.00 % तक के समस्त अ.जा. पुरुष अभ्यर्थी।	27.08.09
अनु.जन जाति पुरुष (जन जातिय उपयोगना क्षेत्र सहित)	बायोलोजी ग्रुप 65.00 % तक के समस्त अ.ज.जा. पुरुष अभ्यर्थी।	27.08.09
निजी प्रशिक्षण केन्द्र पर चयन हेतु		
सामान्य महिला (अ.जा.,अ.ज.जा.,अ.पि.व.,सामान्य)	बायोलोजी ग्रुप 40.00 % तक के तथा अन्य विषय ग्रुप 69.00 % तक अ.जा.,अ.ज.जा., अ.पि.व. तथा सामान्य संवर्ग के समस्त महिला अभ्यर्थी।	28.08.09
सामान्य महिला (अ.जा.,अ.ज.जा.,अ.पि.व.,सामान्य)	अन्य विषय ग्रुप 59.00 % तक अ.जा.,अ.ज.जा., अ.पि.व. तथा सामान्य संवर्ग के समस्त महिला अभ्यर्थी।	29.08.09
ओबीसी महिला	अन्य विषय ग्रुप 40.00 % तक के समस्त ओ.बी.सी. महिला अभ्यर्थी।	31.08.09
अनु.जाति महिला	अन्य विषय ग्रुप 35.00 % तक के समस्त अ.जा. महिला अभ्यर्थी।	01.09.09
अनु.जन जाति महिला	अन्य विषय ग्रुप 35.00 % तक के समस्त अ.ज.जा. महिला अभ्यर्थी।	01.09.09
सामान्य पुरुष (अ.जा.,अ.ज.जा.,अ.पि.व.,सामान्य)	बायोलोजी ग्रुप 61.00 % तक अ.जा.,अ.ज.जा.,अ.पि.व.,सामान्य संवर्ग के समस्त पुरुष अभ्यर्थी।	02.09.09
ओबीसी पुरुष	बायोलोजी ग्रुप 40.00 % तक के समस्त ओ.बी.सी. पुरुष अभ्यर्थी।	02.09.09
अनु.जाति पुरुष	बायोलोजी ग्रुप 35.00 % तक के तथा अन्य विषय ग्रुप में 59.00 % तक के समस्त अ.जा. पुरुष अभ्यर्थी।	03.09.09
अनु.जन जाति पुरुष	बायोलोजी ग्रुप 35.00 % तक के तथा अन्य विषय ग्रुप में 50.00 % तक के समस्त अ.ज.जा. पुरुष अभ्यर्थी।	03.09.09

40% या इससे अधिक विकलांगता प्राप्त अभ्यर्थी (वन लेग अर्थात केवल एक पैर से विकलांग) ही पात्र हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र छः माह से ज्यादा अवधि का नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के महिला अभ्यर्थी का पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, पति के नाम का नहीं।

राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेशित अभ्यर्थी को निर्धारित 180/- रूपये के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ-साथ मौके पर ही अपने मूल शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज भी जमा कराना अनिवार्य होगा। निजी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेशित अभ्यर्थी को 10,000/- रूपये के डिमाण्ड ड्राफ्ट के अतिरिक्त 38,000/- रूपये फीस राशि में से शेष राशि प्रवेशित संस्थान पर उपस्थिति देते समय अपने मूल शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशिका/दिशा निर्देशों में जिन बोर्ड/संस्थान को समकक्ष मान्यता नहीं है, ऐसे बोर्ड/संस्थान से प्राप्त शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं हैं, इसलिये कॉउसलिंग हेतु उपस्थित नहीं होंगे।

उक्त कॉउसलिंग में राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु निर्धारित राजकीय कोटे की सीटों की संख्या के तीन गुना अभ्यर्थियों को कॉउसलिंग हेतु बुलाया गया है। अतः यह आवश्यक नहीं कि बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों का चयन होना सम्भव हो। फिर भी प्रतिदिन भरी गई/रिक्त रही सीटों का ब्यौरा विभागीय बैवसाईट www.rajswathya.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों की किसी श्रेणी/वर्ग में सीटें भरते ही निजी प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रवेश हेतु कॉउसलिंग शुरू कर दी जायेगी। कॉउसलिंग में आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त 180/-रूपये व 10,000/-रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट साथ नहीं लायेगा तो उसे कॉउसलिंग में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।


(ओ.पी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,